न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 69/2024
जीसीएमएस संख्या – 2024/99

अपीलान्ट :–

मुनाराम पुत्र पेमाराम, जाति माली, निवासी ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.5.2022 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा मुकदमा संख्या 70/2022 अनवान सरकार बनाम मुनाराम में धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (अपीलान्ट की ओर से)।

आदेश **दिनांक : 17.02.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बालसेर द्वारा मुकदमा संख्या 70/2022 अनवान सरकार बनाम मुनाराम में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र भी पेश किया गया है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी को जरिए नोटिस अपना पक्ष पेश करने हेत तलब किया।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 30.01.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 17.02.2025 आदेश हेतु रखी गई। अपील पेश करने में हुई देरी को प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायहित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:50:02 IST
Reason: SelfAttested

क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद पेश होना शुमार की जाती है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराया तथा अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण तहसीलदार बालेसर को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों का अध्ययन कर उन पर भलीभांति मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुई जोधा ने एक रिपोर्ट तहसीलदार बालेसर को पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मुनाराम ने ग्राम कुई जोधा के खसरा संख्या 515 की 50 (पचास) बीघा गैर मुमकिन भाखर की सरकार भूमि पर तारबन्दी खुन्टा, बाड़ा करके बिना वैद्य अधिकार कब्जा कर नया अतिक्रमण किया है, अतः अतिक्रमी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे, जिस पर तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट मुनाराम को एक कारण बताओं नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने या कब्जा हटाने हेतु अपेक्षा की गई। दिनांक 10.03.2022 को अपीलान्ट स्वयं ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि अतिक्रमण हटाने हेतु उसे समय दिया जावे तथा यह भी लिखित में निवेदन किया कि उसके खाली पड़ी जमीन पर पिछले 40 वर्षों से कब्जा है तथा उस पर उसका कब्जा–काश्त है जिसका आवंटन आवश्यक है जिसके चारों ओर दीवार बनाकर उसने खर्चा किया है, भूमि सुधार में खर्चा किया है, अतः बेदखल नहीं किया जाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया जावें।

अपीलान्ट को कब्जा हटाने का अवसर देकर पत्रावली 07.04.2022 को पालना हेतु नियत की गई, परन्तु अपीलान्ट ने मौके से कब्जा नहीं हटाया तथा न ही नियत तिथि पर उपस्थित हुआ, जिस पर पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 12.05.2022 को अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने व जुर्माना लगाने का आदेश [illegible] है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की, जिसका मुख्य आधार सुनवाई [illegible] का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति [illegible] पारित करना बताया है तथा यह

भी कथन किया है कि अतिक्रमित भूमि के पड़ौस में अपीलान्ट का खातेदारी खेत आया हुआ है, जिसका नाप व सीमांकन किये बिना ही अपीलान्ट को अतिक्रमी बताया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है।

7. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के कथन गलत हैं। अपीलान्ट को सुनवाई का पूरा अवसर दिया है वह दिनांक 10.03.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश कर भूमि आवंटन की मांग की तथा अगली सुनवाई 18.04.2022 की तिथि निर्धारित की, जिस पर वह अनुपस्थित रहा तथा अगली सुनवाई तिथि 12.05.2022 को बेदखली का आदेश पारित किया है। इसके विपरीत अपील मीमों में अतिक्रमित भूमि से लगती स्वयं की खातेदारी भूमि बता रहा है, जिसका सही सीमांकन करने का कथन किया है, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद व आधारहीन है, क्योंकि 50 बीघा भूमि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है तथा यह भूमि राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवाय चक गै0 मु0 भाखर दर्ज है तथा यह भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपलब्ध ही नहीं है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपनी लगती भूमि होने का भी कोई अभिलेख पेश नहीं किया है तथा यह नया अतिक्रमण बताया है। इसी प्रकार अतिक्रमित भूमि पर अपना मालिकाना हक, सबूत का भी कोई दस्तावेज न तो तहसीलदार के समक्ष पेश किया तथा न ही इस न्यायालय में पेश किया है, बल्कि यही कथन किया कि खाली पड़ी भूमि पर उसका 40 वर्षों से कब्जा है, उसे भूमि आवंटित की जावे, इससे यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट ने सरकारी 50 बीघा भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया है, जो एक गंभीर दुराचरण है तथा 50 बीघा भूमि के इतने बड़े सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से कब्जा किया है, जो निश्चित तौर पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तथा तहसीलदार बालेसर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का, जो आदेश पारित किया है, वह उचित, विधिसम्मत तथा उनके क्षेत्राधिकार में है तथा उसमें हस्तक्षेप करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है तथा यथावत रखने योग्य [illegible] उसकी पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत [illegible]हीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य होने से अपील अस्वीकार [illegible] की जाती है। तहसीलदार बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:50:02 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 69/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/99

अपने निर्णय की पालना में मौके से अपीलान्ट को अविलम्ब बेदखल करें तथा पुनरावृति करने पर कानून में उपलब्ध प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करे ताकि सरकारी सार्वजनिक सम्पति सुरक्षित रह सकें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार बालेसर को लौटाया जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 18:50:02 IST
Reason: SelfAttested